अधिसूचना सं0 22/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)   नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि.   (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2008 के प्ररुप - 2 की क्रम संख्या 4 की मद (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) विभिन्न शुल्कों के बीच प्रभाजन के लिए शुल्क संदाय का अवशिष्ट नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार है :-

क्रम संख्या	शुल्क	पान मसाला के लिए शुल्क का अनुपात	संदत्त शुल्क (रुपये में)	पान मसाला जिसमें तंबाकू है, के लिए शुल्क का अनुपात	संदत्त शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क	0.3453		0.7903	
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0.1294		0.0677	
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 36 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0.4962		0.1129	
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय	0.0194		0.0194	

	शिक्षा उपकर				
5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0097		0.0097"	

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 30/2008- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी) तारीख 1 जुलाई 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 जुलाई 2008 सा.का.नि. 127(अ), तारीख 1 जुलाई 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 3/2014- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी) तारीख 24 जनवरी, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सं. सा.का.नि. 58(अ), तारीख 24 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।